

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत शहरफाटक से ग्राम दो
घोड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 5.00 कि०मी०

संलग्नक सं०—1.5

प्रारूप—11

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के माँग का पूर्ण औचित्य

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०—813/III(2)/15—03 (मु०मं०घो०)/2014, दिनांक 17 मार्च, 2015 के द्वारा 5.00 कि०मी० की लम्बाई हेतु रु 42.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मोटर मार्ग पूर्व निर्मित अल्मोड़ा—शहरफाटक—मोरनौला मोटर मार्ग के कि०मी० 69.00 से प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्तावित मोटर मार्ग वन पंचायत भूमि, आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। ग्राम— डोल, दौ में कोई भी मोटर मार्ग न होने के कारण यह मोटर मार्ग बनना प्रस्तावित किया गया है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों को अस्पताल, बाजार व स्थानीय उत्पादों को बाजार पहुँचाने की सुविधा प्राप्त होगी। ग्राम— डोल एवं दौ में मोटर मार्ग न होने के कारण स्थानीय लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का पलायन रुकेंगा। ग्राम— डोल एवं दौ में सब्जी उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है जिसे बाजार तक पहुँचाने हेतु मोटर मार्ग की नितान्त आवश्यकता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए वैकल्पिक उचित स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।



अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



अधिशसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



प्रभारणीय वनाधिकारी
केजीएल वन प्रभाग, नैनीताल